

नीति अनुभाग, राजभाषा विभाग में अधिकतर आरटीआई द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब |

---

**प्रश्न 1 : देश की राजभाषा क्या है |**

उत्तर संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।

**प्रश्न 2: लिपि देवनागरी और हिन्दी का अभिप्राय क्या है |**

उत्तर: संघ सरकार की राजभाषा हिन्दी और लिपि (लिखने) के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाएगा तथा अंकों का रूप अन्तर्राष्ट्रीय रूप अर्थात् 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और 10 होगा।

**प्रश्न 3 : राजभाषा हिन्दी से संबन्धित संवैधानिक प्रावधान क्या है**

उत्तर : अनुच्छेद 343 के अंतर्गत (1) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था:

परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

*Sudh*  
27/4/16

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद् उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात्, विधि द्वारा

(क) अंग्रेजी भाषा का, या

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

2. हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने से संबंधित संविधानिक उपबंध-राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा संकल्प, 1968 तथा राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 का अवलोकन राजभाषा विभाग की वेबसाइट [www.rajbhasha.nic.in](http://www.rajbhasha.nic.in) or [www.rajbhasha.gov.in](http://www.rajbhasha.gov.in) पर लांग-इन करके कर सकते हैं।

**प्रश्न 4 : राजभाषा हिन्दी को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है।**

उत्तर: संघ सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार इसे केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा इन मंत्रालयों/विभागों के संबंध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में लागू किए जाने का कार्य राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के द्वारा देखा जाता है जिसे लागू करवाने की जिम्मेदारी इन मंत्रालयों/विभागों/संबंध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख की है। राजभाषा हिन्दी के संबंध में किए जा रहे कार्यों को विभाग की वेबसाइट [www.rajbhasha.nic.in](http://www.rajbhasha.nic.in) or [www.rajbhasha.gov.in](http://www.rajbhasha.gov.in) से अवलोकन किया जा सकता है।

**प्रश्न 5 : उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि के संबंध में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या है।**

उत्तर: भारत के संविधान भाग 17 अनुच्छेद 348 और 349 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि के संबंध में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में जानकारी दी गई है।

*Shudh*  
27/5/16

प्रश्न 6 : राज्यों की राजभाषा बनाने का कार्य किसका है ।

उत्तर: भारत के संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 345, 346 और अनुच्छेद 347 में राज्य की राजभाषाओं के संबंध में उल्लेख किया गया है । संघ सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है ।

प्रश्न 7 : किसी भाषा को राजभाषा घोषित करने संबंधित नियम क्या है ।

उत्तर : भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार केवल हिन्दी संघ की राजभाषा है । किसी अन्य भाषा को संघ की राजभाषा घोषित करने संबंधित कोई मानदंड निर्धारित नहीं है ।

प्रश्न 8 : देश में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है ।

उत्तर : हिन्दी भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है

प्रश्न 9 : क्या भारत के समस्त कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत फैसले राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिए जाते हैं ।

उत्तर: भारत सरकार (केन्द्र सरकार) के समस्त कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत फैसले राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ही लिए जाते हैं अब तक जारी किए गए आदेशों का अवलोकन आप राजभाषा विभाग के वेबसाइट [www.rajbhasha.nic.in](http://www.rajbhasha.nic.in) or [www.rajbhasha.gov.in](http://www.rajbhasha.gov.in) पर लांग-इन करके कर सकते हैं ।

प्रश्न 10 : वर्ष 1980 से वर्ष 2014 तक केंद्रीय हिन्दी समिति की प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में कितनी बैठकें आयोजित की गई थी ।

*Sudh*  
27/4/16

उत्तर: वर्ष 1980 से 2014 तक केन्द्रीय हिन्दी समिति की आयोजित की गई बैठकों की सूचना निम्नलिखित है:

क्र.सं.	बैठक की तिथि	किसकी अध्यक्षता में
1.	06.01.1984	प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में
2.	18.09.1985	प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में
3.	21.11.1986	प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में
4.	02.12.1987	प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में
5.	12.10.1989	प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में
6.	24.07.1993	प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में
7.	24.06.1994	प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में
8.	22.09.2000	प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में
9.	06.09.2002	प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में
10.	23.05.2003	प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में
11.	02.09.2005	प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में
12.	04.01.2007	प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में
13.	28.07.2011	प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में

**प्रश्न 11:** हर वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस क्यों मनाया जाता है ।

**उत्तर :** हर वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस इस लिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितम्बर, 1949 को सविधान सभा ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था । अतः केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी के कार्यान्वयन एवं प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है । भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी के काम को देखने के लिए हिन्दी एकक की व्यवस्था की गई है और राजभाषा विभाग इस कार्यों को देखने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है ।

*Handwritten signature*  
27/4/14

अन्य प्रश्न जोकि राजभाषा विभाग से संबन्धित नहीं है | लेकिन  
ज्यादातर राजभाषा विभाग से पूछे जाते है |

---

**प्रश्न 1 : क्या हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है |**

उत्तर: सविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है | राष्ट्रभाषा हिन्दी के संबंध में और अधिक जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भाषा विभाग से प्राप्त की जा सकती है |

**प्रश्न 2 : राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है |**

उत्तर: राष्ट्रभाषा का तात्पर्य राष्ट्र की भाषा से है जबकि राजभाषा का संबंध देश की अर्थात् संघ सरकार की सरकारी कामकाज की भाषा से है | हिन्दी को भारत(संघ सरकार) की राजभाषा बनाया गया है |

**प्रश्न 3 : भाषाओं को 8वी अनुसूची में डालने से संबन्धित मामले किस विभाग से संबन्धित है |**

उत्तर : भाषाओं को 8वी अनुसूची में डालने से संबन्धित मामले एच आर डिविजन (एन आई-2) गृह मंत्रालय से संबन्धित है |

**प्रश्न 4 : भारतीय सविधान में नई भाषा को मान्यता देने का अधिकार किसका है |**

उत्तर : भारतीय सविधान में नई भाषा को मान्यता देने का अधिकार एच आर डिविजन (एन आई-2) गृह मंत्रालय का है |

**प्रश्न 5 : विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है |**

*Handwritten signature and date*  
27/11/16

उत्तर: विश्व हिन्दा सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है ।

**प्रश्न 6 : भाषाओं का विकास करने का कार्य किस से संबन्धित है ।**

उत्तर : अनुच्छेद 351 के अन्तर्गत हिन्दी तथा अन्य भाषाओं का विकास करने का कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबन्धित है ।

**प्रश्न 7 : मान्यता प्राप्त ऐच्छिक हिन्दी संस्थानों की सूचना कहा से प्राप्त हो सकती है ।**

उत्तर: मान्यता प्राप्त ऐच्छिक हिन्दी संस्थानों की सूचना मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त हो सकती है ।

**प्रश्न 8 : देश की राष्ट्रभाषा से संबन्धित सूचना व अभिलेख कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं ।**

उत्तर : देश की राष्ट्रभाषा से संबन्धित सूचना व अभिलेख मानव संसाधन विकास मंत्रालय/संस्कृति मंत्रालय से प्राप्त हो सकते हैं ।

**प्रश्न 9 : भाषाओं के बारे में अनुदान दिलवाने का मामला किस मंत्रालय से संबन्धित है ।**

उत्तर : भाषाओं के बारे में अनुदान दिलवाने का मामला मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भाषा विभाग से संबन्धित है ।

**प्रश्न 10 : हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार के संबंध में किए जा रहे कार्यों की जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है ।**

उत्तर : हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार के संबंध में किए जा रहे कार्यों की जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिन्दी निदेशालय से प्राप्त की जा सकती है ।

*Handwritten signature and date*  
27/4/16

प्रश्न 11 : विधि और न्याय के क्षेत्र में हिन्दी और भारतीय भाषाओं के प्रयोग से संबन्धित कार्य किस के द्वारा देखे जाते हैं ।

उत्तर : विधि और न्याय के क्षेत्र में हिन्दी और भारतीय भाषाओं के प्रयोग से संबन्धित कार्य न्याय विभाग, जैसलमेर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली द्वारा देखे जाते हैं ।

*Judg*  
27/4/16